(h) the policy of allotment particularly when the qualified Scheduled Caste and Scheduled Tribe Engineers were not considered for allotment ?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) 15% out of 294 flatted factories.

(b) 40

(c) 3

(d) 4 were considered for allotment. The fifth one had submitted a scheme for the manufacture of aluminium building hardware which was not considered suitable for production in a flatted factory and was, therefore, rejected.

(e) 23.

(f) The broad criteria for allotment or rejection were as under:—

(i) The industry/project should be employment oriented;

(ii) Other things being equal, the industries with export potential or import substitution or catering to the defence and Govt. requirements would be given preference.

(iii) The applicant should be a bona fide resident of Delhi.

(iv) The industries/projects selected should be suitable for functioning in a flatted factory of a limited size, where there was limitation of power upto 5 H.P. and water supply was not available for individual units and should fall in one of the following categories:—

(1) Electrical Industries.

(2) Readymade Garments.

(3) Light Fabrication Industries.

(4) Light Engineering Industries.

(5) Plastics and Pharmaceuticals.

(6) Electronics.

(v) Projects which were not considered suitable for functioning in the complex by virtue of excessive requirement of power/water or nature of machinery or otherwise emitting noxious and hazardous affluents were not considered.

(vi) the applicants were considered only under one category of their option even if they fulfilled the conditions of more than one category.

(g) No flatted factory remains unallotted, as the reservations were subject to the provision that, if adequate number of deserving candidates were not available, the remaining number would be treated as un-reserved and allotted to general category.

(h) Does not arise.

Sales Tax on Match Industry

4519. SHRI N. SOUNDARJAN :
SHRI D. S. A. SIVAPRAKASAM. :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that several units in tiny sector of the Match Industry are suffering because of pressure from mechanised and bigger sector units;

(b) whether Government are also aware that pressure is being brought on the Delhi Administration to impose sales tax to cripple further the growth of tiny sector; and

(c) if the Answer to part(a) is in the affirmative, the steps taken by Government to safeguard the interests of tiny sector ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (c). Position is being ascertained from the concerned Ministries.

(b) Government have no information.

नई दिल्ली नगर पालिका के सफाई तथा खाद्य अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को नोटिस दिया जाना

4520. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के सफाई तथा खाद्य अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक तथा सफाई निरीक्षक पी० एफ० ए० एक्ट, 1954 के अधीन कार्य करने में सक्षम हैं और यदि हां, तो इस बारे में जारी की गई अधिसूचना की तारीख और संख्या क्या हैं;

(ख) क्या उक्त अधिकारियों ने नई दिल्ली नगर पालिका के अंतर्गत दुकानदारों को परेशान करने के लिये पी० एफ० ए० एक्ट, 1954 के अधीन नोटिस दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) न० दि० न० पा० के अंतर्गत खाद्य पदार्थ बेचने वाली कुल कितनी दुकानें हैं और कितने दुकानदारों को लाइसेंस दिये गये हैं और कितने दुकानदार बिना लाइसेंसों के अपनी दुकानें चला रहे हैं ; और

(ङ) क्या न० दि० न० पा० के सफाई तथा खाद्य अधिकारियों ने बिना लाइसेंस दुकानें चलाने वाले दुकानदारों को नोटिस दिये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख). नई दिल्ली नगर पालिका ने यह सूचना दी है कि खाद्य पदार्थ मिलावट निरोध अधिनियम 1954 की धारा 24 के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 5 के अंतर्गत पालिका का स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत है और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन उसको लाइसेंस जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के सफाई निरीक्षकों समेत पर्यवेक्षण कर्मचारी खाद्य पदार्थ मिलावट निरोध अधिनियम 1954 के अधीन बनाए गए नियम 8 के उपनियम 7 के अधीन खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले किसी परिसर का निरीक्षण करने के लिये पूर्णतः प्राधिकृत है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि खाना लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार तैयार किया जाए और बेचा जाए तथा परिसर में और उसके आसपास कोई गंदगी युक्त अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां व्याप्त न हों। जब कभी ऐसी गलतियों का पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा पता लगाया जाता है तो उन्हें ऐसे आवश्यक आदेशों के लिये जो लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी (स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी) उचित समझे उनके ध्यान में लाया जाता है।

यदि लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि नोटिस जारी करना आवश्यक है तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारियों द्वारा नोटिस दे दिया जाता है। यदि अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन इस प्रकार का है जिसमें लोक स्वास्थ्य के हित में कानूनी कार्यवाही अपेक्षित है तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा इसकी सिफारिश दिल्ली प्रशासन को की जाती है।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाली दुकानों की संख्या--956
जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या--798
बिना लाइसेंसों के चलने वाली दुकानों की संख्या--158 (ये आंकड़े प्रति माह परिवर्तित होते रहते हैं)

(ङ) उन दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाते हैं जो बिना लाइसेंसों के अथवा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बेचते हैं, जब कभी ऐसे मामलों का पता लग जाता है।